न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 95/2019

1 इन्द्राज पुत्र स्व. जीराम
2 सवाई सिंह पुत्र स्व. जीराम
जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र दुलीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लुहारू रोड़ पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 काशीराम पुत्र रामरिख जाति जाट निवासी औद्योगिक क्षेत्र पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 मृतक– बीरबल पु भूराराम जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (दौराने अपील मृत्यु)
3/1 सन्तरा देवी स्त्री स्व. बीरबल
3/2 मन्जु पुत्री स्व. बीरबल जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/3 'मृतक' सत्यवीर पुत्र स्व. बीरबल जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू। (दौराने अपील मृत्यु)
3/3/1 श्रीमती देवकी स्त्री स्व. महावीर जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/3/2 अभिषेक आयु 12 साल पुत्र स्व. सत्यवीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3/3/3 प्रिया आयु 8 साल पुत्री स्व. सत्यवीर जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू नाबालिग जरिये माता श्रीमती देवकी स्त्री स्व. सत्यवीर जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/4 सज्जन पुत्र स्व. बीरबल
3/5 शेरसिंह पुत्र स्व. बीरबल जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 राजेन्द्र पुत्र स्व. जीराम
5 योगेन्द्र पुत्र स्व. जीराम
जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 हुंसीयार सिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक
05.09.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़
मुकदमा उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम हुंसीयार सिंह
वगै. मु.नं. 127/2017 दावा बाबत विभाजन एवं
स्थाई निषेधाज्ञा

अपील संख्या 96/2019

1 इन्द्राज पुत्र स्व. जीराम

भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

2 सवाई सिंह पुत्र स्व. जीराम
जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र दुलीचन्द जाति ब्राह्मण निवासी लुहारू रोड़ पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 काशीराम पुत्र रामरिख जाति जाट निवासी औद्योगिक क्षेत्र पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3 मृतक– बीरबल पु भूराराम जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू (दौराने अपील मृत्यु)
3/1 सन्तरा देवी स्त्री स्व. बीरबल
3/2 मन्जु पुत्री स्व. बीरबल जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/3 'मृतक' सत्यवीर पुत्र स्व. बीरबल जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू। (दौराने अपील मृत्यु)
3/3/1 श्रीमती देवकी स्त्री स्व. महावीर जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/3/2 अभिषेक आयु 12 साल पुत्र स्व. सत्यवीर
3/3/3 प्रिया आयु 8 साल पुत्री स्व. सत्यवीर जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू नाबालिग जरिये माता श्रीमती देवकी स्त्री स्व. सत्यवीर जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
3/4 सज्जन पुत्र स्व. बीरबल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

3/5 शेरसिंह पुत्र स्व. बीरबल जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 राजेन्द्र पुत्र स्व. जीराम
5 योगेन्द्र पुत्र स्व. जीराम
जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
6 हुंसीयार सिंह पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी खेड़ला तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.10.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी जगदीश प्रसाद बनाम हुंसीयार सिंह वगै. मु.नं. 127/2017 दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री यशवीर लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 30.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 127/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2017 व 06.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 76 रकबा 4.24 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम खेड़ला तहत तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिस दावा को विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.09.2017 को प्राथमिक डिक्री कर दिनांक 06.10.2017 को अन्तिम डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 5 पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस के बार में आवेदकगण को पहले पता नहीं था दिनांक 01.07.2019 को पटवारी हल्का ने आलौच्य निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस के बारे में बताने पर आवेदकगण ने दिनांक 02.07.2019 को आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस की नकल प्राप्त की दिनांक 03.07.2019 से दिनांक 03.10.2019 तक समय आवेदकगण को अपील तैयार करवाने में एवं विधिक सलाह में लग गये। दिनांक 03.07.2019 से दिनांक 03.10.2019 तक अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद समाहत की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन में अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 01.07.2019 को हो गई थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 10.10.2019 द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रथम अपील प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिवस निर्धारित है। विचाराधीन निर्णय दिनांक 05.09.2017 एवं 06.10.2017 के है। विधि अनुसार मियाद की गणना करने पर दिनांक 06.11.2017 एवं दिनांक 07. 12.2017 को मियाद पुरी हो जाती है। यदि अपीलांट के कथनों को स्वीकार कर लिया जायें तो भी अपीलांट द्वारा अंकित जानकारी की दिनांक 01.07. 2019 से 60 दिवस की गणना करने पर दिनांक 02.09.2019 को मियाद की अवधि पूर्ण हो जाती है। अपीलांट की जानकारी की दिनांक से भी दोनों अपीले मियाद बाहर है। इस अत्यधिक विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः धारा 5 का आवेदन खारिज कर अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1992 रेव पेज 427, आरआरटी 2021(1) रेव पेज 336, आरआरटी 2023 (2) रेव पेज 894, आरआरटी 2022(1) एससी पेज 165 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन में अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 01.07.2019 को हो गई थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 10.10.2019 द्वारा प्रस्तुत की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रथम अपील प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिवस निर्धारित है। विचाराधीन निर्णय दिनांक 05.09.2017 एवं 06.10.2017 के है। विधि अनुसार मियाद की गणना करने पर दिनांक 06.11.2017 एवं दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

07.12.2017 को मियाद पुरी हो जाती है। यदि अपीलांट के कथनों को स्वीकार कर लिया जायें तो भी अपीलांट द्वारा अंकित जानकारी की दिनांक 01.07.2019 से 60 दिवस की गणना करने पर दिनांक 02.09.2019 को मियाद की अवधि पूर्ण हो जाती है। अपीलांट की जानकारी की दिनांक से भी दोनों अपीले मियाद बाहर है। इस अत्यधिक विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर